भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

राज्यसभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1845
जिसका उत्तर मंगलवार दिनांक 04 अगस्त, 2026/13 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है

राज्यों को देय संचयी वित्तीय बकाया

1845. श्रीमती सागरिका घोष:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क्या सरकार ने 30 जून 2026 की स्थिति के अनुसार, जीएसटी क्षतिपूर्ति, केंद्र प्रायोजित योजनाओं, आपदा राहत तथा अन्य अंतरणों के मद में राज्यों को देय संचयी बकाया की राज्य-वार गणना की है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर, जहां वित्त वर्ष 2022-23 (अप्रैल-जून, 2022) के लिए महालेखाकार (एजी) का प्रमाण पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, जीएसटी क्षतिपूर्ति के कारण राज्यों को जारी करने के लिए कोई राशि लंबित नहीं है।

केंद्र प्रायोजित योजनाओं के संबंध में, वार्षिक बजट में संबंधित मंत्रालयों/विभागों को धनराशि का प्रावधान किया जाता है और बाद में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली द्वारा उन्हें वितरित किया जाता है। बकाया राशि का विवरण, यदि कोई हो, संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा रखा जाता है।

16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, मासिक आधार पर धन का अंतरण किया जाता है। इस संबंध में कोई राशि बकाया नहीं है।
